संख्या-132/2022/I/231574/2022/71-2099/882/2021

प्रेषक,

अशोक कुमार,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक
सी0बी0एम0आर0,
लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-2 लखनऊ : दिनांक 03 नवम्बर, 2022

विषय:-सी0बी0एम0आर0, लखनऊ के संकायी एवं गैर संकायी अधिकारियों/कर्मचारियों को भत्ते प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्रांक-सी0बी0एम0आर0/वि0 एवं ले0/2021-22/806 / 675 दिनांक 19 जून, 2021 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा सी0बी0एम0आर0, लखनऊ के संकायी एवं गैर संकायी अधिकारियों/कर्मचारियों को संजय गॉधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ के समतुल्य भत्ते प्रदान किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सी0बी0एम0आर0 (जैव चिकित्सा अनुसंधान केंद्र) के संकायी एवं गैर संकायी अधिकारियों/कर्मचारियों को 6वें वेतन आयोग के अनुसार दिये जा रहे भत्तों को 7वें वेतन आयोग के अनुसार पुनरीक्षित दरों पर भत्ते प्रदान किये जाने की सहर्ष स्वीकृति राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते हैं:-

शर्ते/प्रतिबन्ध

1. 7वें वेतन आयोग की संस्तुतियों के अनुसार पुनरीक्षित दरों पर केवल उन्हीं भत्तों का भुगतान किया जाएगा, जो छठें वेतनमान के अंतर्गत सेण्टर के शैक्षणिक व गैर शैक्षणिक अधिकारियों/कर्मचारियों को पूर्व से प्राप्त हो रहे हैं।
2. पुनरीक्षित दरों पर भुगतान के लिए किसी भी नये ऐसे भत्ते जो पूर्व से छठें वेतनमान के अंतर्गत प्राप्त न हो रहे हों, अनुमन्य नहीं होंगें।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

3. 7वें वेतन आयोग की संस्तुतियों के अनुसार पुनरीक्षित भत्तों का भुगतान शासनादेश निर्गत होने की तिथि से देय होगा तथा इसके लिए किसी प्रकार का एरियर का भुगतान नहीं किया जाएगा।
4. सेन्टर के निदेशक एवं संबंधित वित्त नियंत्रक द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि पुनरीक्षित वेतनमान के उक्त प्रस्ताव पर सेण्टर के शासी निकाय का अनुमोदन प्राप्त है।

3- इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2022-2023 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 031 **लेखा शीर्षक** 2210-05-105-03-0312 सेन्टर ऑफ बॉयोमेडिकल रिसर्च, लखनऊ **मानक मद-** 31 सहायता अनुदान-सामान्य (वेतन) के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-3/334/दस-2022-23, दिनांक-02 नवम्बर, 2022 मे प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(अशोक कुमार)
विशेष सचिव।

संख्या-132/2022/।/231574/2022**/71-2099/882/2021, तद्दिनांक।**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 लखनऊ/प्रयागराज।
3. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश प्रयागराज।
4. कोषाधिकारी, कलेक्ट्रेट लखनऊ।
5. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
6. वित्त नियंत्रक, सी0बी0एम0आर0, लखनऊ।
7. वित्त ई-3/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(मुमताज अहमद सिद्दीकी)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in